माननीय न्यायालय □□□□□□ □□□□, □□

आग्या राम □□ *अन्य,* — □□□□□□□□□□□□

□□□□

केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन □□ *अन्य,* — □□□□□□□□□□□□

C.W.P. 2002 □□ □□□□□□ 8127

4 □□□□□, 2009

□□□□ □□ □□□□□□□□, *1950 — अनुच्छेद 226 — पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952- धारा 22- चंडीगढ़ नियम, 1991 में लीज/किराया खरीद के आधार पर किसी भी क्षेत्र में निर्मित बूथों का आवंटन/हस्तांतरण- नियम 5- ए- प्रशासन की योजना के अनुसरण में निर्मित बूथ स्थलों के आवंटन के लिए आवेदन करने वाले कश्मीरी प्रवासी- अस्वीकार- चुनौती- याचिकाकर्ताओं को खुले स्टालों के माध्यम से अपना व्यवसाय चलाने की अनुमति देने वाला प्रशासन- पर्याप्त प्रमाण- याचिकाकर्ताओं को वास्तविक और प्रामाणिक साबित करने वाले सक्षम अधिकारी कश्मीरी प्रवासी- याचिकाकर्ता नियम 5- ए के प्रावधानों की आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करते हैं- निर्मित बूथ स्थलों के आवंटन के लिए विचार के लिए पात्र- याचिका की अनुमति।*

अभिनिर्धारित किया गया कि यह पक्षकारों का एक स्वीकृत मामला है कि आक्षेपित आदेश में दिया गया पहला कारण, अर्थात् वैध गाड़ी/ड्राइविंग लाइसेंस न होना या वे किसी गाड़ी के स्वामी नहीं हैं, कश्मीरी प्रवासियों के मामले में लागू नहीं है और याचिकाकर्ताओं के दावे को उस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था। मामले के इस दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ताओं के दावे को अस्वीकार करने का पहला आधार अब जीवित नहीं है।

(□□□□ 7)

उन्होंने कहा कि वास्तव में वित्त सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन ने स्वयं विवादित आदेश में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि "जबकि श्री आग्याराम सत्रह अन्य परिवारों के साथ वर्ष 1990 में कश्मीर घाटी से वहां

की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण चंडीगढ़ चले गए थे। उन्हें सामुदायिक केंद्र में रखा गया और उक्त आग्याराम ने किरण सिनेमा, चंडीगढ़ के सामने सेक्टर 22-सी में तौलिए बेचने का व्यवसाय शुरू किया। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि नियम 5-ए को जोड़ने के पीछे का उद्देश्य राज्य की एक प्रशंसनीय कल्याणकारी योजना को लागू करना है, इसलिए, यह उदारतापूर्वक व्याख्या किए जाने के योग्य है, मेरे विचार में, यह तथ्य कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं को स्टॉल चलाने, एक तम्बू आवास में रहने की अनुमति दी, उनके लिए आजीविका के स्रोत के रूप में अपना छोटा व्यवसाय चलाने के लिए निहित अनुमति का पर्याप्त प्रमाण है।

(□□□□ 9)

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील नवकिरण सिंह और शालित सैनी।

प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता के. के. गुप्ता

सूर्या कांत, **□□. (□□□□□)**

(1) याचिकाकर्ताओं ने 24 जनवरी, 2002 के उस आदेश (अनुलग्नक पी-20) को रद्द करने की मांग की है, जिसमें कश्मीरी प्रवासियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले बूथों के आवंटन के उनके दावे को खारिज कर दिया गया है।

(2) याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे 17 अन्य परिवारों के साथ, कुल 20 परिवारों में, कश्मीर घाटी से वहां की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण पलायन करने के लिए मजबूर थे। वे चंडीगढ़ पहुँचे और उन्हें शहर के सेक्टर 20,29 और 40 के सामुदायिक केंद्रों में रखा गया। याचिकाकर्ताओं और अन्य प्रवासी परिवारों को वर्ष 1990 में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पहचान पत्र जारी किए गए थे [अनुलग्नक पी 2 से पी 4], यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि आश्रय के अलावा, चंडीगढ़ प्रशासन उन्हें केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए नीतिगत निर्णयों के अनुसार मुफ्त राशन और अन्य लाभ प्रदान कर रहा है। उन्हें किरण सिनेमा, सेक्टर 22, चंडीगढ़ के सामने एक तम्बू वाले आवास में गाड़ियां लगाकर अपनी आजीविका कमाने की अनुमति दी गई।.

(3) पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 22 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासक, U.T., चंडीगढ़ ने-6 जनवरी, 1998 की अधिसूचना के माध्यम से [अनुलग्नक पी-18] चंडीगढ़ में पट्टा/किराया खरीद के आधार पर किसी भी क्षेत्र में बिल्ट-अप बूथों का आवंटन/हस्तांतरण नामक नियमों में संशोधन किया, नियम, 1991, नियम 5-ए को जोड़ते हुए, जो निम्नानुसार पढ़ता है।: –

"5-□ सक्षम प्राधिकरण किसी भी क्षेत्र और किसी भी बाजार में एक निर्मित बूथ आवंटित कर सकता है::

(ए) ऐसे पंजीकृत कश्मीरी प्रवासी जिन्हें सेक्टर 20 और 22 में माल की बिक्री के लिए अस्थायी स्थल प्रदान किए गए थे और जिनकी अनुशंसा उपायुक्त, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा आवंटन के लिए की गई है।

(b) ऐसा व्यक्ति जो सेक्टर 40 और 41 को विभाजित करने वाली वी-2 सड़क के साथ और उसके आसपास दुकानें और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान चला रहा है और जिसकी अनुशंसा संपदा अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा आवंटन के लिए की जाती है।

(c) सरकारी और अर्ध-सरकारी विभाग और उपक्रम जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं प्रदान करते हैं".

(4) याचिकाकर्ताओं ने खुद को पंजीकृत कश्मीरी प्रवासी बताते हुए, जिन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए सेक्टर 22, चंडीगढ़ के बाजार में सामान बेचने की अनुमति दी गई थी और ऊपर दिए गए नियम 5-ए के संदर्भ में पात्र होने के कारण, उन्हें निर्मित बूथ साइटों के आवंटन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन में आवेदन किया। हालाँकि, उनके आवेदन काफी लंबे समय तक लंबित रहने के कारण, उन्होंने सीडब्ल्यूपी नं। 2000 का 7447 जिसका निपटारा 4 सितंबर, 2001 के आदेश द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन को नियमों के नियम 5-ए के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करने और यदि पात्र पाया जाता है, तो उन्हें किसी भी क्षेत्र के बाजार में निर्मित बूथ आवंटित करने का निर्देश देकर किया गया था। चंडीगढ़ प्रशासन ने इस न्यायालय के निर्देशानुसार याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार किया, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया-दिनांक 24 जनवरी, 2002 के आक्षेपित आदेश [अनुलग्नक पी-20] में निम्नलिखित दो कारणों से जिसका उल्लेख आक्षेपित आदेश के संचारी भाग में मिलता है: —

" जबकि, उपरोक्त शर्तों को ध्यान में रखते हुए, श्री आग्या राम और दो अन्य याचिकाकर्ता 1991 की योजना के नियम 5 के तहत निर्मित बूथ के आवंटन के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि उनके पास न तो कोई वैध हैंड कार्ट लाइसेंस है और न ही ड्राइविंग लाइसेंस है और न ही उनके पास हैंड कार्ट हैं और न ही उन्हें सेक्टर 20 और 22 में सामान की बिक्री के लिए कोई अस्थायी साइट प्रदान की गई है और D.C., चंडीगढ़ द्वारा निर्मित बूथ के आवंटन के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई है।"

(5) इससे नाराज याचिकाकर्ताओं ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

(6) यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने प्रस्ताव का नोटिस जारी करते हुए 28 मई, 2002 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को किरण सिनेमा, सेक्टर 22, चंडीगढ़ के सामने खुले स्थान से बेदखल करने पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं ने तदनुसार टेंट परिसर में छोटी दुकानदारी के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित की, जिस पर वे वर्ष 1991 में कब्जा करने आए थे|

(7) यह पक्षकारों का एक स्वीकृत मामला है कि विवादित आदेश में दिया गया पहला कारण, अर्थात् वैध गाड़ी/ड्राइविंग लाइसेंस न होना या यह तथ्य कि उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, कश्मीरी प्रवासियों के मामले में लागू नहीं है और याचिकाकर्ताओं के दावे को उस हिसाब से खारिज नहीं किया जा सकता था। मामले के इस दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ताओं के दावे को अस्वीकार करने का पहला आधार अब जीवित नहीं है।

(8) दूसरे आधार पर कि याचिकाकर्ताओं को सेक्टर 22 में सामान बेचने के लिए कोई अस्थायी स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है या उपायुक्त, चंडीगढ़ द्वारा निर्मित बूथ के आवंटन के लिए उनके पक्ष में कोई सिफारिश नहीं की गई है, याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर विभिन्न दस्तावेजों का उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता किरण सिनेमा, सेक्टर 22, चंडीगढ़ के सामने खुली जगह में तंबू की दुकानों से अपनी आजीविका कमा रहे हैं।

दिनांक 4 अक्टूबर, 1995 के ज्ञापन [अनुलग्नक पी16] और दिनांक 7 जून, 1997 के जब्त ज्ञापन [अनुलग्नक पी-14] पर भरोसा करते हुए यह आग्रह किया जाता है कि यह तथ्य कि याचिकाकर्ता किरण सिनेमा, सेक्टर 22, चंडीगढ़ के सामने खुले स्टालों के माध्यम से 28 मई, 2002 को इस न्यायालय द्वारा उन्हें बेदखल करने के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा देने से पहले भी पर्याप्त लंबे समय से अपना व्यवसाय चला रहे हैं, किसी भी संदेह से परे साबित होता है। वास्तव में, वित्त सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन ने स्वयं विवादित आदेश में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि "जबकि श्री आग्याराम सत्रह अन्य परिवारों के साथ वर्ष 1990 में कश्मीर घाटी से वहां मौजूद दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण चंडीगढ़ चले गए थे। उन्हें सामुदायिक केंद्र में

रखा गया और आग्याराम ने "किरण सिनेमा, चंडीगढ़ के सामने सेक्टर 22-सी में तौलिए आदि बेचने का व्यवसाय शुरू किया।" यह कहने के लिए पर्याप्त है कि नियम 5-ए को जोड़ने के पीछे का उद्देश्य राज्य की एक प्रशंसनीय कल्याणकारी योजना को लागू करना है, इसलिए इसकी उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। मेरे विचार में, यह तथ्य कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं को स्टॉल चलाने की अनुमति दी, एक तम्बू आवास में हो सकता है, आजीविका के स्रोत के रूप में अपने छोटे व्यवसाय को चलाने के लिए निहित अनुमति का पर्याप्त प्रमाण है।

(10) जहां तक दूसरी आपत्ति की बात है कि चंडीगढ़ के उपायुक्त ने याचिकाकर्ताओं के मामलों की सिफारिश नहीं की है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी सिफारिशें याचिकाकर्ताओं के कश्मीर से प्रवासी के रूप में चंडीगढ़ आने के पर्याप्त सबूत के अभाव में नहीं की गई थीं क्योंकि उन्हें जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा जारी 'प्रवासी स्थिति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। इस न्यायालय ने तदनुसार 19 सितंबर, 2007 को निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

> *" दलीलों के दौरान, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील, श्री के. के. गुप्ता ने बताया है कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं को निर्मित बूथों के आवंटन के लिए, चंडीगढ़ नियम, 1991 में पट्टे/किराया खरीद के आधार पर किसी भी क्षेत्र में निर्मित बूथों के आवंटन/हस्तांतरण के नियम 5-ए के साथ पठित भारत सरकार के 24 दिसंबर, 1990 के निर्देशों के अनुसार कुछ प्रपत्रों को पूरा करने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे बताया कि इन नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को जम्मू-कश्मीर द्वारा जारी प्रवासी स्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है सरकार याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि इन नियमों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी से उपर्युक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा और उस उद्देश्य के लिए, उसे कुछ समय चाहिए।"*

यह विवाद में नहीं है कि पूर्व-वर्णित आदेश के संदर्भ में, उपायुक्त, चंडीगढ़ ने- दिनांक 11 जनवरी, 2008 के अपने पत्र के माध्यम से [अनुलग्नक ए-2] उपायुक्त, श्री नगर [जम्मू और कश्मीर] से याचिकाकर्ताओं की वास्तविकता को 'कश्मीरी प्रवासी' के रूप में सत्यापित करने का अनुरोध किया। इसके जवाब में श्री नगर के उपायुक्त ने दिनांक 15 सितंबर, 2008 के अपने पत्र

[अनुलग्नक ए-4] के माध्यम से तहसीलदार, श्री नगर की दिनांक 11 सितंबर, 2008 की सत्यापन रिपोर्ट [अनुलग्नक ए-5] की एक प्रति भेजी, जो इस प्रकार है: -

> *" कृपया विषय वस्तु के संबंध में ऊपर उद्धृत अपना नंबर और तिथि देखें। इस संबंध में जैसा कि नायब तहसीलदार चतबल द्वारा सत्यापित और सूचित किया गया है कि श्री आग्याराम मोर चंद का पुत्र किराए के आधार पर हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर रह रहा था और वर्ष 1989 में घाटी से बाहर चला गया था, आग्याराम का पुत्र मंगतराम धोबी मोहल्ला बटमल्लू में अठारह साल की अवधि से पहले रह रहा था और फिर घाटी से बाहर चला गया था, और तदनुसार श्री मलिक राम का पुत्र श्री राज कुमार भी किराये के आधार पर मगरमल बाग में रह रहा था और वर्ष 1989 में घाटी से बाहर चला गया था।"*

(12) उपरोक्त पुनः प्रस्तुत किए गए प्रमाण को ध्यान में रखते हुए, जो बिना किसी संदेह के स्थापित करता है कि याचिकाकर्ता श्री नगर में रहते थे और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उन्हें अपने नियंत्रण से परे कारणों से घाटी से पलायन करना पड़ता था और इस प्रकार वे वास्तविक और प्रामाणिक कश्मीरी प्रवासी हैं। तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता नियमों के नियम 5-ए की आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करते हैं और निर्मित बूथ स्थलों के आवंटन के लिए विचार के पात्र हैं।

(13) ऊपर बताए गए कारणों के कारण, रिट याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है और 24 जनवरी, 2002 के विवादित आदेश [अनुलग्नक पी-20] को रद्द कर दिया जाता है और प्रत्यर्थियों को प्रत्येक याचिकाकर्ता की पात्रता के अनुसार निर्मित बूथ स्थलों के आवंटन के प्रयोजनों के लिए पात्र कश्मीरी प्रवासियों की सूची में प्रत्येक याचिकाकर्ता के नाम शामिल करने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादियों को अन्य 17 कश्मीरी प्रवासी परिवारों के दावों पर विचार करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि इस अदालत का दरवाजा खटखटाने में उनकी कठिनाई को दूर किया जा सके। प्रतिवादियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे कश्मीरी प्रवासियों को आवंटन के लिए बूथ स्थलों को निर्धारित करें, जैसा कि उक्त नियमों के नियम 5-ए में दिया गया है और जल्द से जल्द आवंटन करें, लेकिन इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने के बाद नहीं।

(14) पार्टियों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है|

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कार्तिक शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा